संख्या–762 / पाँच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री रविकान्त,
सचिव,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं
सार्वजनिक वित्रण मंत्रालय,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 01 अप्रैल, 2020

विषयः– N95 Mask एवं PPE Kit की अधिकतम दरों के निर्धारण के संबंध में।

दिनांक 21 मार्च, 2020 को जारी की गयी अधिसूचना में भारत सरकार के द्वारा मास्क (दो प्लाई एवं तीन प्लाई), इनके विनिर्माण में उपयोग किये गये मेल्ट ब्लोन नोन–वोवन फैब्रिक और हैड सैनिटाइजर की कीमतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है।

कोरोना वायरस के संक्रमण के समय में विभिन्न निर्माता इकाईयों के द्वारा एन0–95 एवं पी0पी0ई0 किट, जो इसके उपचार हेतु अत्यावश्यक है, की बहुत ज्यादा कीमत मॉगी जा रही है। उपयुक्त होगा की दो प्लाई एवं तीन प्लाई मास्क तथा हैड सैनिटाइजर की भॉति एन0–95 एवं पी0पी0ई0 किट के मूल्य की भी अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाए। कृपया तद्नुसार समुचित कार्यवाही करते हुये राज्यों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

01.04.20

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या–762(1)/ पाँच–5–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, औषधि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

आज्ञा से,

1.4.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।